

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर :- 53/2023

नरेन्द्र उम्र 33 वर्ष पुत्र झावर जाति जाट निवासी ग्राम गोकुलपुरा तहसील व
जिला सीकर

-वादी-

बनाम

1. गोपीराम पुत्र हनुमान
2. परमाराम पुत्र हनुमान
3. महावीर पुत्र हनुमान
4. मोहनी देवी पत्नी मूलचन्द
5. विकास पुत्र मूलचन्द
6. संदीप कुमार पुत्र मूलचन्द
7. समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर जरिये प्रबंधक
9. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कृषि उपज मण्डी समिति सीकर जरिये प्रबंधक
9. तहसीलदार सीकर जिला सीकर

- प्रतिवादीगण -

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित- वकील वादी:- अधिवक्ता श्री सांवर मल चौधरी
वकील प्रतिवादी- अधिवक्ता श्री गणपत लाल चौधरी

वाद वादी को स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 548/107 रकबा 241 हैक्ट व खसरा नम्बर 550/106 रकबा 0.2250 हैक्ट के सम्बन्ध में तहसीलदार सीकर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक:- भू.अ./2024/1779 दिनांक 26.04.2024 के अनुसार वकील उभयपक्ष की सहमति से अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 0706.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
साक्षर दी गई।

उपखण्ड (जय कौशिक) सीकर
उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	14.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस	12.00	कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	64.00	जोड़	36.00

✓

उपखण्ड अधिकारी-सीकर